



उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
रिट याचिका (टी) क्रमांक 166/2018

मेसर्स भारती एसोसिएट्स (जिसे अब मेसर्स श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है) बस्तर रोड धमतरी छत्तीसगढ़। इसके मालिक श्री कल्पेश मेहता पुत्र श्री हर्षद मेहता, उम्र 43 वर्ष, निवासी बी-15, रोमनस्क्यू विला, लाभांडी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजभवन के पीछे सिविल लाइन रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से।
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, कर अपवंचन शाखा रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री अनुराग त्रिपाठी, पैनल वकील

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा
बोर्ड पर आदेश

25/09/2024

1. वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए पारित दिनांक 15.05.2017 (अनुलग्नक पी/4) और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 22.01.2018 (अनुलग्नक पी/8) के आदेश को चुनौती दी गई है।



2. वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी अधिकारियों के पास केवल करदाता द्वारा किए गए मानित कर निर्धारण को स्वीकार करके और उसे कर निर्धारण आदेश मानकर कर निर्धारण आदेश बिना किए कर निर्धारण को फिर से खोलने का अधिकार होगा।
3. जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, इसमें शामिल मुद्दा अब नया नहीं है। इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पहले ही कई रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जा चुका है और जिसे खंडपीठ द्वारा भी पुष्टि की गई है।
4. वर्तमान रिट याचिका में छत्तीसगढ़ वैट अधिनियम (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 22 के तहत आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए डीमंड असेसमेंट को फिर से खोल दिया है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि किसी असेसमेंट को फिर से खोलना केवल तभी स्वीकार्य है जब प्रतिवादियों द्वारा अधिनियम की धारा 21(1) के तहत अन्यथा अपेक्षित असेसमेंट आदेश पारित किया गया हो, जो कि इस मामले में पारित नहीं किया गया है और प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले में डीमंड असेसमेंट के आधार पर खाते को फिर से खोलने की कार्यवाही की है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इसी विषय पर इस न्यायालय की खंडपीठ के हाल के दो निर्णयों का उल्लेख किया, अर्थात् एक जो WA NO. 687/2018 (छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड) और अन्य संबंधित अपीलों में 18.08.2022 को पारित किया गया था। राज्य द्वारा ये अपीलें WPT संख्या 79/2017 (मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध थीं, जिसका निर्णय 20.03.2018 को हुआ था। रिट याचिका में रिट कोर्ट ने समान तथ्यों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन



के आदेश को गलत माना था, जबकि मूल्यांकन का आदेश प्रतिवादियों द्वारा जारी नहीं किया गया था। इसे खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई और खंडपीठ ने इसकी पुष्टि करते हुए राज्य द्वारा दायर तीन अपीलों को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में पैराग्राफ संख्या 23 से 26, 28 और 29 में निम्नानुसार माना है:

“23. वैट अधिनियम की धारा 22(1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यापारी का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन वैट अधिनियम के तहत किया गया है और किसी भी कारण से वैट अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरस्त अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं की किसी भी अवधि के दौरान बिक्री या खरीद, (ए) कम मूल्यांकन किया गया है या मूल्यांकन से बच गया है, या (बी) कम दर पर मूल्यांकन किया गया है या (सी) मूल्यांकन करते समय कोई गलत कटौती की गई है, या (डी) मूल्यांकन करते समय इनपुट टैक्स की छूट गलत तरीके से दी गई है, या (ई) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या आदेश के परिणामस्वरूप या उसके प्रकाश में गलत और राजस्व के हित के लिए हानिकारक है, जो अंतिम हो गया है, आयुक्त आदेश की तारीख से पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय कर निर्धारण की तिथि से या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश की तिथि से, निर्धारित तरीके से आगे बढ़ें, जैसा भी मामला हो, ऐसे डीलर द्वारा देय कर का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करें, ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, और कर का निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करें।





24. चूंकि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में उल्लिखित शब्द "आदेश" वैट अधिनियम में परिभाषित नहीं है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(14) में "आदेश" की परिभाषा और ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवें संस्करण) में "आदेश" शब्द के शब्दकोश अर्थ का सहारा लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में प्रयुक्त शब्द "मूल्यांकन का आदेश" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रिटर्न और वैधानिक अनुपालनों और याचिकाकर्ता द्वारा धारा 21(2) के विपरीत प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा औपचारिक निर्णय लिया जाना चाहिए, जो कि एक माना गया मूल्यांकन है।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि वैट अधिनियम की धारा 22(1) में "मूल्यांकन आदेश की तिथि से" शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग करने से पहले मूल मूल्यांकन आदेश अस्तित्व में होना चाहिए। आक्षेप के तहत निर्णय के पैराग्राफ 34 में, यह निम्नानुसार देखा गया:

"34. इस प्रकार, संक्षेप में, वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत अधिकार क्षेत्र लागू करने या पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विधिवत पारित मूल्यांकन आदेश होना चाहिए और धारा 22(1) को लागू करने के लिए यह एक शर्त के रूप में अस्तित्व में होना चाहिए और निर्धारित सीमा ऐसी कार्यवाही शुरू होने की तारीख से पांच कैलेंडर वर्ष है, जबकि धारा 21(2) के तहत माना गया मूल्यांकन आदेश



वैट अधिनियम की धारा 21(3) के तहत ऐसे वर्ष से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर ही पुनर्मूल्यांकन योग्य है। यदि वैट अधिनियम की धारा 21(7) के तहत कोई मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, तो यह वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकता है।”

26. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 36 और 37 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“36. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, फिल्टर कंपनी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में, 12-5-2014 को नोटिस जारी करने के बाद 18-2-2015 तक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई की गई, लेकिन वैट अधिनियम की धारा 21(7) के तहत मूल्यांकन का कोई आदेश पारित नहीं किया गया, हालांकि 12-5-2014 को नोटिस जारी करके मूल मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की गई थी और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा समय-समय पर मामले की सुनवाई की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वैट अधिनियम की धारा 21(2) में निहित प्रावधानों के आधार पर माना गया मूल्यांकन हुआ, जो कि आयुक्त द्वारा चयन किए जाने पर वैट अधिनियम की धारा 21(3) के तहत एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के भीतर पुनर्मूल्यांकन योग्य था। इस प्रकार, वैट अधिनियम की धारा 22(1) को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी





तथ्य और शर्त अर्थात् मूल्यांकन का आदेश वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की तिथि पर अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, विद्वान मूल्यांकन अधिकारी वैट अधिनियम की धारा 22(1) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकार-रहित था और अंततः पारित पुनर्मूल्यांकन का आदेश अधिकार क्षेत्र और कानून के अधिकार के बिना है और धारा 22(1) में निहित प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

27. यह मुझे अगले प्रश्न की ओर ले जाता है कि क्या वैट अधिनियम की धारा 22(2) को लागू करके लगाया गया जुर्माना संधारणीय है। वैट अधिनियम की धारा 22(2) में प्रावधान है कि आयुक्त, जहां उप-धारा (1) के तहत किए गए कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन में चूक डीलर के कारण हुई है, उस पर जुर्माना लगाएगा जो इस प्रकार निर्धारित या पुनर्मूल्यांकन किए गए कर की राशि से दोगुना से अधिक नहीं होगा, लेकिन निर्धारित कर की राशि से कम नहीं होगा। जुर्माना पुनर्मूल्यांकन में चूक के लिए लगाया जा सकता है, जहां उप-धारा (1) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में चूक डीलर के कारण हुई है। वर्तमान मामले में, यह पहले ही माना जा चुका है कि मूल्यांकन का कोई आदेश नहीं है क्योंकि मूल्यांकन अधिकारी ने कोई मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया है और इस प्रकार, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मूल मूल्यांकन आदेश पारित करने में विफलता है। इस कारण से कि पुनर्मूल्यांकन का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून के अधिकार के बिना





माना जाता है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन पर जुर्माना लगाने वाला आदेश कायम नहीं रह सकता और तदनुसार, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

28.प्रश्न यह है कि वैट अधिनियम की धारा 22 में दिखाई देने वाले "मूल्यांकन के आदेश की तारीख" और "किसी डीलर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किया गया है" का क्या अर्थ है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि वैट अधिनियम की धारा 22 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले डीलर का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए, वह भी मूल्यांकन के आदेश की तारीख से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि के भीतर। केवल आदेश पारित करने की स्थिति में, पांच कैलेंडर वर्ष की अवधि, जो सीमा अवधि है, मूल्यांकन के आदेश की तारीख से गणना की जा सकती है। धारा 22 का प्रयोग केवल तभी स्वीकार्य है जब किसी व्यापारी का कर निर्धारण (क) कम कर दिया गया हो या कर निर्धारण से बच गया हो या (ख) कम दर पर कर निर्धारण किया गया हो या (ग) कर निर्धारण करते समय कोई गलत कटौती की गई हो या (घ) कर निर्धारण करते समय इनपुट कर में छूट गलत तरीके से दी गई हो या (ङ) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय या आदेश के परिणामस्वरूप या उसके आलोक में कर निर्धारण गलत और राजस्व के हित के प्रतिकूल हो। लिखित कर निर्धारण आदेश के अभाव में पूर्वोक्त पूर्व शर्तों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इस मामले को देखते हुए, मान लिए गए कर निर्धारण के संबंध





में वैट अधिनियम की धारा 22 के तहत सहारा नहीं लिया जा सकता है।

29. वैट नियम, 2006 के अध्याय VI के अंतर्गत नियम 20 “रिटर्न” से संबंधित है। नियम 20(2)(घ), जिस पर श्री शर्मा ने भरोसा किया है, दिनांक 02.06.2011 की अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था। तत्पश्चात, दिनांक 21.10.2011 की अधिसूचना द्वारा नियम 20(2)(घ) में “प्रपत्र 17-ए” शब्दों के पश्चात “दो प्रतियों में” शब्द जोड़े गए। नियम 20(2)(घ) में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करने के पश्चात, जमा किए गए कर के चालान की प्रति के साथ संबंधित सर्किल में तीस दिन के भीतर फार्म 17-ए दो प्रतियों में जमा किया जाना चाहिए तथा पावती प्राप्त की जानी चाहिए। नियम 20(2)(ई) में प्रावधान है कि यदि खंड (घ) के अंतर्गत निर्धारित पावती प्राप्त नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। श्री शर्मा का यह तर्क कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करने की पावती की तिथि डीमंड असेसमेंट के आदेश की तिथि है, और इसलिए यह कहना गलत है कि असेसमेंट के आदेश की कोई तिथि नहीं है, गलत है। रिटर्न जमा करने के लिए प्राप्त पावती को असेसमेंट आदेश की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता।

6. इसके बाद, एक अन्य ऐसा ही मामला था जो “मेसर्स आयरन जंक्शन रजबंधा मैदान, रायपुर बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त” के मामले में कर अपील संख्या 74/2022 और मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में डब्ल्यूपी(टी) संख्या 20/2021 में डिवीजन बेंच के समक्ष विचारार्थ आया, जिसमें “मेसर्स टाटा



टेलीसर्विसेज लिमिटेड” (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए सिंगल/डिवीजन बेंच ने “मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड” (सुप्रा) में पारित आदेश के अनुसार कर मामले का निपटारा किया था।

7. जहां तक तथ्यात्मक पहलू का संबंध है, क्या अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 21(1) के तहत कोई मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है, यह राज्य द्वारा विवादित नहीं है। हालांकि, राज्य के वकील ने केवल अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश की क्योंकि इस तरह के मूल्यांकन आदेश की आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 21(1) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया माना गया मूल्यांकन धारा 22 को लागू करते हुए मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त है और माना गया मूल्यांकन ही मूल्यांकन के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।
8. राज्य-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वैट अधिनियम, 2005 के नियम 20(2)(बी) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए 12,66,29,154/- रुपये (अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर सकल कारोबार) की राशि का फॉर्म-18 (वार्षिक विवरण) प्रस्तुत किया है। इसके बाद, पत्र संख्या 296 दिनांक 31.03.2016 (रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 143 पर अनुलग्नक पी-12) के माध्यम से। उप आयुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्यिक कर, रायपुर (छ.ग.) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वैट अधिनियम, 2005 की धारा 22(1) के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए फॉर्म-18 (वार्षिक विवरण) का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य के मामले में खंडपीठ के फैसले को राज्य द्वारा पहले ही सर्वोच्च



न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। हालांकि विद्वान राज्य अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

9. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने वैट अधिनियम, 2005 के नियम 20(2)(बी) के अनुसार केवल फॉर्म-18 प्रस्तुत किया है, इसलिए मूल मूल्यांकन कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश के बिना, उप आयुक्त (प्रवर्तन), वाणिज्यिक कर, रायपुर को वैट अधिनियम, 2005 की धारा 22(1) के तहत याचिकाकर्ता को पुनर्मूल्यांकन आदेश के लिए निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकार क्षेत्र केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वैट अधिनियम की धारा 21(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन आदेश दिया गया हो।
10. पक्षकारों के वकील द्वारा की गई उक्त दलील को देखते हुए, यह भी ध्यान देने योग्य है कि राज्य के वकील द्वारा उठाए गए तर्क ही वे तर्क हैं जिन पर डिवीजन बेंच ने टाटा टेलीसर्विसेज (सुप्रा) मामले में निर्णय लेते समय विस्तार से विचार किया है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने मेसर्स आयरन जंक्शन, राजबंघ मैदान, रायपुर (सुप्रा) के मामले में टैक्ससी संख्या 74/2022 में डिवीजन बेंच द्वारा पहले अपनाए गए उसी रुख को दोहराया है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि जब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा धारा 21(1) के तहत मूल्यांकन का कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 21(2) के तहत मानित मूल्यांकन को फिर से नहीं खोला जा सकता है।
11. इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस विषय पर दिए गए उपरोक्त न्यायिक उदाहरण तथा एकलपीठ द्वारा भी निर्णीत रिट याचिकाओं के समूह के



मह्वनजर, यह न्यायालय भी यही दृष्टिकोण अपनाता है तथा इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका को भी स्वीकार करता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश 15.05.2017 के अनुलग्नक पी/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए पारित आदेश 22.01.2018 के अनुलग्नक पी/8 को उक्त सीमा तक निरस्त/रद्द किया जाता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है तथा उसका निपटारा किया जाता है।

सही/ -
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

